

# ॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

I/14151/2024

E-Mail:- dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 5004 / 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, अप्रैल 05/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विकासखण्ड नारायणबगड़ में फारकोट से डुडुवागाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.61 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक 1657/12-1 दिनांक 17.02.2024

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में चाही गयी बिन्दुओं की सूचना प्रस्तावक विभाग अधिशासी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं० 434/36सी० दिनांक 15.03.2024. से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:-

क्र.सं.	प्रस्ताव में चाही गयी सूचना	आख्या
1	प्रस्ताव में के०एम०एल० फाइल का अवलोकन करने पर पाया गया है कि जिन गांवों के लिये मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जा रहा है वे गांव पूर्व में ही मोटर मार्ग से जुड़े प्रतीत होते हैं का विस्तृत औचित्य।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के के०एम०एल० फाइल में जिन गांवों के लिये मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जा रहा है वे गांव पूर्व से ही मोटर मार्ग से जुड़े प्रतीत होते हैं के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है:- प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग ग्वालदम अल्मोड़ा मोटर मार्ग के नलगांव भटियाणा मोटर मार्ग के किमी० 02 से प्रारम्भ होता है व इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4 किमी० है यह मोटर मार्ग बनने से ग्राम फारकोट, भैंसवाड़ा गेट सोल्टा, डडुवागाड़ तुनेड़ा चोपता ग्रामों को जोड़ेगा, उक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्रामों को ब्लॉक मुख्यालय नारायणबगड़ से दूरी 15 किमी० कम हो जायेगी तथा ग्राम वासियों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर की दूरी 29 किमी० कम तय करनी पड़ेगी। व ग्राम वासियों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में अपने उपचार करने में कम दूरी तय कर समय पूर्व अपना उपचार किया जा सकेगा। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र के अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा।
2	प्रस्ताव में 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों की गणना करने हेतु कहा गया है।	0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों की गणना कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है तथा ऑनलाईन पार्ट II के Additional information में भी अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रस्तावित मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन व 25मी० दूरी में पिल्लर बन्दी करने हेतु कहा गया है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू-चिन्हांकन व 25मी० दूरी में पिल्लर बन्दी कर ली गयी है।
5-	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।	वन्यजीवों का प्रबन्धन एवं मृदा जल संरक्षण योजना प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
a	In respect of linear project the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever is more should be charge from the user agency	
b	The provisions of wildlife management plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	

o/c